

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 182/2015 नि०फौ०

संस्थित दिनांक 16-06-2015

रामअवतार उर्फ झम्मन पुत्र उमाशंकर उर्फ
धौकल, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 12
गोहदी गेट गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०, हाल
निवासी- ग्वालियर

-----निगरानीकर्ता/आरोपी

बनाम

महेश पुत्र बालकिशन जाति ब्राह्मण, निवासी-
सिसोनियाँ, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

-----प्रतिनिगरानीकर्ता/परिवादी

निगरानीकर्ता द्वारा श्री एस०एस० श्रीवास्तव अधिवक्ता।

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा श्री विकास कांकर अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 17-09-2016 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता/आरोपी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री गोपेश गर्ग के न्यायालय के प्र०कं० 110/2014 ई०फौ० महेश वि० रामअवतार में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रकरण के प्रचलन शीलता के संबंध में उठाई गई आपत्ति से संबंधित आवेदनपत्र दिनांक 22.12.2014 निरस्त किया गया है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में निगरानीकर्ता को आरोपी एवं प्रतिनिगरानीकर्ता को परिवादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रतिनिगरानी कर्ता/परिवादी के द्वारा निगरानीकर्ता/आरोपी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवादपत्र पेश किया था। निगरानीकर्ता/आरोपी का

बरेठा से ग्वालियर जाते समय बैग गिर गया था जिसमें उसका चैक व दस्तावेज रखे हुए थे। चैक बुक खोने की रिपोर्ट निगरानीकर्ता के द्वारा दिनांक 27.05.2013 को महाराजपुरा थाने में की है तथा दिनांक 28.05.2013 को अपने बैंक में आवेदनपत्र देकर चैक पेमेंट स्टोप कराया है। प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा चैक पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिनांक 08.07.2013 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोहद में पेमेंट कराने के लिए जमा किया गया था जो कि बैंक से इस टीप के साथ वापस किया गया है कि 'खाता स्टोप है' इसलिए भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा 15 दिवस के अंदर कोई नोटिस आरोपी को नहीं दिया गया है और न ही एक माह के अंदर परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिनिगरानीकर्ता का परिवादपत्र अवधि बाधित है। प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया है जो कि संचालन योग्य नहीं है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र का विधिवत सही ढंग से अवलोकन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। परिवादी के द्वारा गलत रूप से चैक पर हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु लगाया गया है और बैंक से चैक भुगतान के बगैर वापस होने पर उनके द्वारा 15 दिवस के अंदर नोटिस नहीं दिया गया है और न ही विहित समह में परिवादपत्र पेश किया गया है। परिवादी का परिवादपत्र अवधि बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत रूप से उनका आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2015 को आपस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

06. निगरानीकर्ता/आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि दिनांक 24.05.2013 को उसकी चैक बुक गिर गई थी और इस संबंध में दिनांक 27.

05.2013 को थाना महाराजपुरा में लिखित रिपोर्ट दी गई। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा अपने बैंक को स्टॉप पेमेंट करने का आवेदनपत्र दिया गया था और बैंक के द्वारा स्टॉप पेमेंट कर दिया गया था। परिवादी के द्वारा खोए हुए चैक पर फर्जी रूप से हस्ताक्षर कर उसे भुगतान हेतु पेश किया गया है और बैंक के द्वारा स्टॉप पेमेंट के कारण उसे लौटाया गया है। उक्त चैक पुनः भुगतान हेतु पेश किये जाने पर बैंक के द्वारा अपर्याप्त राशि के कारण लौटाया जाना बताया गया है। उन्होंने यह व्यक्त किया कि यदि बैंक में पेमेंट स्टॉप था तो अपर्याप्त राशि की टीप बैंक के द्वारा नहीं लगाई जा सकती थी। उक्त टीप बैंक की सील लगवाकर गलत रूप से लगवाई गई है। निगरानीकर्ता/आरोपी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि नोटिस दिये जाने के एम माह के भीरत परिवादपत्र भी पेश नहीं किया गया है और परिवादी के द्वारा आरोपी को विधिवत नोटिस तामीली भी नहीं कराया गया है। उपरोक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

07. गैरनिगरानीकर्ता/परिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने प्रश्नाधीन आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए और उन पर उचित रूप से विचार करते हुए आरोपी के द्वारा ली गई आपत्ति निरस्त की गई है।

08. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। निगरानीकर्ता/आरोपी के द्वारा चैक गुम जाने के संबंध में चैक में कूट रचित हस्ताक्षर कर उसे भुगतान करने हेतु बैंक में पेश किये जाने के संबंध में जो आधार लिया गया है, निश्चित रूप से उक्त आधार बचाव का आधार है और उक्त तथ्य साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित हो सकता है। ऐसी दशा में यदि आरोपी अपने बचाव में कोई आधार ले रहा है तो मात्र इस स्टेज पर उसे मानते हुए परिवादपत्र की कार्यवाही को खण्डित नहीं किया जा सकता है।

09. जहाँ तक निगरानीकर्ता/आरोपी के द्वारा स्टॉप पेमेंट हेतु बैंक को सूचना देने का प्रश्न है और बैंक के द्वारा चैक का पेमेंट स्टॉप किये जाने मात्र के आधार पर भी धारा 138 पराक्रम्य बिलेख अधिनियम की परिधि के बाहर प्रकरण नहीं जाता है। स्टॉप पेमेंट के संबंध में भी विचारण न्यायालय के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत को रिफर करते हुए स्टॉप पेमेंट होने के उपरांत भी धारा 138 पराक्रम्य बिलेख अधिनियम की परिधि में आने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जो कि इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय के द्वारा कोई अवैधानिक दृष्टि इस संबंध में की जानी दर्शित नहीं होती है।

10. निगरानीकर्ता/आरोपी के द्वारा परिवादपत्र को अवधि के अंतर्गत पेश न होना एवं नोटिस की तामीली के संबंध में जो आधार लिया गया है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चैक का अनादरण होने के पश्चात् विधिवत सूचनापत्र आरोपी

को भेजा गया है जो कि डॉक के द्वारा उसकी डिलेवरी की जानी भी स्पष्ट है और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई हो या उचित तामीली नहीं हुई हो तो इसे साक्ष्य के आधार पर ही प्रतिखण्डित किया जा सकता है और परिवादपत्र नोटिस देने के पश्चात् और नोटिस देने के उपरांत भी चैक की राशि का भुगतान न करने के उपरांत विहित समय सीमा के अंतर्गत पेश किया जाना पाया जाता है। जैसा कि इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए अवधारित किया गया है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा निगरानीकर्ता/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में उठाई गई आपत्तियों को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता की गई हो अथवा वैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर कोई आदेश पारित किया गया हो जो कि उक्त आदेश अशुद्ध या अवैधानिक हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। उसमें हस्तक्षेप करने या फेरबदल करने का कोई आधार व कारण परिलक्षित नहीं होता।

12. अतः विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27-05-15 के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

13. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)